भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 774

(24 जुलाई, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रगति

774#. श्री बृज लाल:
श्री शंभू शरण पटेल:
श्री बंशीलाल गुर्जर:
श्री मिथलेश कुमार:
श्रीमती सीमा द्विवेदी:
डा. कल्पना सैनी:
श्री एस. सेल्वागनबेथी:
श्री राजीब भट्टाचार्जी:
श्री सदानंद महालू शेट तानवड़े:
श्री चुन्नीलाल गरासिया:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास को रोजगार के उभरते अवसरों और उद्योग जगत की जरूरतों के अनुरूप बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई है;
(ख) उक्त योजना के तहत ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और नियोजन के लिए चिन्हित किए गए क्षेत्र, उद्योग और रोजगार के उभरते क्षेत्र कौन-से हैं;
(ग) प्रशिक्षित उम्मीदवारों का नियोजन सुनिश्चित करने, उद्योगों के साथ साझेदारी करने और नियोजन के बाद नौकरी में उनके बने रहने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय अपनाए गए हैं; और
(घ) इस योजना के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित वित्तीय परिव्यय कितना है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): डीडीयू-जीकेवाई, दीन दयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (डे-एनआरएलएम) के अंतर्गत आजीविका विविधीकरण और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से चलाई जा रही पहलों के समूह में से एक है। डीडीयू-जीकेवाई का उद्देश्य नियोजन-संबद्ध कौशल विकास कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण युवाओं को कुशल बनाना और उनके लिए स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है।

डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत, ग्रामीण युवाओं की आकांक्षाओं को श्रम बाजार की बदलती कौशल आवश्यकताओं के साथ संरेखित करने के प्रयास किए जाते हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अपने क्षेत्रों में क्षेत्र-वार अवसरों और रोजगार क्षमता की पहचान करने हेतु कौशल अंतराल अध्ययन करने के लिए बजटीय सहायता प्रदान की जाती है। इन अध्ययनों के आधार पर, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों (पीआईए) को स्थानीय, घरेलू और वैश्विक रोजगार बाजारों के अनुरूप उभरते एवं उच्च-विकास वाले क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रस्तावित करने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है। परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय, पीआईए को प्रस्तावित क्षेत्रों के लिए औचित्य और मांग आकलन प्रदान करना आवश्यक होता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डीडीयू-जीकेवाई के अंतर्गत प्रशिक्षण मांग-आधारित और उद्योग-प्रासंगिक बना रहे।

डीडीयूजीकेवाई के अंतर्गत अब तक कुल **18.45 लाख** उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है और जून 2026 तक **12.35 लाख** को नियोजित किया गया है।

उक्त योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण और नियोजन के लिए चिह्नित किए गए क्षेत्रों का ब्यौरा **अनुबंध-I** में दिया गया है।

(ग) निधियां परियोजना कार्यान्वयन अभिकरणों (पीआईए) को नियोजन लक्ष्य प्राप्त करने के अधीन जारी की जाती हैं। पीआईए को प्रशिक्षित उम्मीदवारों में से कम से कम 70% को नियोजित करना आवश्यक है, जिनमें से कम से कम 50% को वेतन-भोगी रोजगार में नियोजित किया जाना चाहिए। पात्र उम्मीदवारों को छह माह की अवधि के लिए प्रतिधारण और बारह माह तक ट्रैकिंग की सुविधा हेतु नियोजन उपरांत सहायता (पीपीएस) प्रदान की जाती है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट अनुमान (बीई) केंद्रीय अंश के रूप में ₹ 750.00 करोड़ है।

अनुबंध-I

राज्यसभा में दिनांक 24.07.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 774 के भाग (क) और (ख) के उत्तर में निर्दिष्ट अनुबंध

क्र.सं.	क्षेत्र
1	एयरोस्पेस और विमानन
2	कृषि
3	परिधान, मेडअप्स एवं गृह साज-सज्जा
4	ऑटोमोटिव
5	सौंदर्य एवं स्वास्थ्य
6	बीएफएसआई
7	कैपिटल गुड्स
8	निर्माण
9	घरेलू कामगार
10	इलेक्ट्रॉनिक्स
11	खाद्य प्रसंस्करण
12	फर्नीचर एवं फिटिंग्स
13	रत्न एवं आभूषण
14	हरित रोजगार
15	हस्तशिल्प एवं कालीन
16	स्वास्थ्य सेवा
17	हाइड्रोकार्बन
18	अवसंरचना उपकरण
19	इंस्ट्रुमेंटेशन
20	लौह एवं इस्पात
21	आईटी-आईटीईएस
22	चमड़ा
23	जीवन विज्ञान
24	लॉजिस्टिक्स
25	प्रबंधन, उद्यमिता एवं व्यावसायिक कौशल
26	मीडिया एवं मनोरंजन
27	खनन
28	पेंट्स एवं कोटिंग्स
29	प्लंबिंग
30	विद्युत

31	रीटेल
32	रबर
33	खेल, शारीरिक शिक्षा, स्वास्थ्य एवं अवकाश
34	दूरसंचार
35	वस्त्र
36	पर्यटन एवं आतिथ्य
